IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

निर्माण खण्ड, मेरठ–02

आफिस कॉम्पलैक्स, सैक्टर–9, शास्त्री नगर, मेरठ

Email : upavpcd6@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

Bureau of Indian Standards SQMS

पत्रांक :– 473 /अधि0अभि0/नि0ख0, मेरठ–2 5.1/10 दिनांक :– 23-02-21

ई–निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से ई–निविदायें टू–बिड पद्वति में निम्नांकित विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अधिसाशी अभियंता, निर्माण खण्ड मेरठ 02 उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, मेरठ स्थित कार्यालय में निम्न विवरण के अनुसार खोली जायेगी। कार्यों की मात्रायें बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होगीं। यदि किसी अपरिहार्य कारण वश टेक्निकल बिड/फाईनेंशियल बिड खोलने की तिथि को अवकाश हो जाता है, तो निविदा अगले कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित स्थान एवं समय पर खोली जायेगी।

क0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में) (जी0एस0टी0 सहित)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई–निविदा अपलोड करने की तिथि	ई–निविदा डाउनलोड प्रारम्भ करने की तिथि	टेक्निकल बिड खुलने की तिथि व समय	फाईनेंशियल बिड खुलने की तिथि व समय	संबंधित खण्ड का नाम
1.	जनपद मेरठ के कपसाड में निर्मित कराये जा रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अवशेष कार्यो के अन्तर्गत 10 कि0ली0 क्षमता एवं 09 मी0 स्टेजिंग के आर0सी0सी0 ओवर हेड टैंक का निर्माण कार्य।	6.00	0.12	590.00	4 माह	27.02.21	28.02.21	09.03.21 अपरान्ह 12.30 बजे	तिथि बाद में घोषित की जायेगी।	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड, मेरठ–02 ऑफिस कॉम्पलैक्स, सैक्टर–9, शास्त्री नगर, मेरठ। मो0 नं0– 8588877002

ई–निविदा हेतु

1– निविदा से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि आर0टी0जी0एस0/एन0इ0एफ0टी के माध्यम से निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व खण्ड के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। जमा की गई धनराशि की रसीद की प्रति को स्कैन कर अपनी विड के साथ अपलोड करना ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। खाते का विवरण निम्नवत् है–

Name of A/C Holder	**EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION, MEERUT-02, UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD, SHASTRI NAGAR, MEERUT**
A/C No.	**4009000100179980**
IFSC Code No.	**PUNB0400900**
Name of Bank-	**PUNJAB NATIONAL BANK, SECTOR-2, SHASTRI NAGAR, MEERUT**

2– निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट WWW.upavp.com के निविदा लिंक पर तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कॉरपोरेशन की वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों द्वारा ही ऑनलाइन निविदा डाली जा सकती है।

निविदा हेतु सामान्य शर्तेः–

1. उक्त कार्य हेतु उच्च जलाशय के कार्य का अनुभव रखने वाले ठेकेदार/फर्म ही आवेदन कर सकेंगे। जिसमें 10 कि0ली0 क्षमता के ओ0 एच0 टी0 कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
2. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल भुगतान अनुमन्य होगा, अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी।
3. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
4. निविदाओं की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व निविदादाता को चाहिएं कि वे स्थल का निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में स्थल सम्बन्धी कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। कार्य की मात्रा अवमुक्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष भी निर्धारित की जा सकती है।
5. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
6. निविदादाता को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत की 10 प्रतिशत सिक्योरिटी धनराशि एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में सम्बंधित खण्ड के अधिसाशी अभियंता के पक्ष में बंधक बनाकर जमा करनी होगी।

7. अनुबन्ध गठन की प्रकिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/व्यक्ति सकिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
8. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
9. निविदादाता फर्म का जी0एस0टी0, लेबर सेस इत्यादि में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। उसके सभी देयकों से नियमानुसार आयकर, लेबर सेस, एवं अन्य कोई कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की नियमानुसार कटौती की जायेगी। जी0एस0टी0 विभाग द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की प्रति स्कैन कर अपनी विड के साथ अपलोड करना ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
10. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदायें अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
11. शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद एक वर्ष तक होगी। वारण्टी एक प्रतिशत जमानत धनराशि तीन वर्ष के पश्चात ही अवमुक्त की जायेगी।
12. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/परिषद/जल निगम की नवीनतम् विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
13. जी0पी0डब्लू0-9 फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
14. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का ऑकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
15. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
16. यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि वं स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपयुक्त रूप में देय होगी।
17. शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 ऑडिट/08टी0सी0-2 दिनांक 08.06.12 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 की दरों से Below दर देने पर ठेकदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी-
    (क) 10% Below तक दर पर 0.50% प्रति 1.00% कम (Below) दर पर।
    (ख) 10% से अधिक Below दर पर 1.00% प्रति 1.00% कम (Below) दर पर।
18. न्यूनतम दर दाता द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि फाईनेंशियल बिड खुलने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करानी होगी। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं न्यूनतम दर दाता की निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
19. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
20. निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करते समय दरों की तीन माह की वैधता हेतु 100.00 के स्टाम्प पेपर जिस रू0 1.00 का रसीदी टिकट लगा हो एंव ई-टेन्डर में स्कैन कापी अपलोड करना होगा।
21. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
22. निविदा में अंकित दरो पर जी0एस0टी0 नियमानुसार अलग से देय होगा।

(राजीव कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 473 / / दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, ग्लोबल कन्सट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरि काम्पलेक्स इन्दिरा नगर लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्रीनगर, मेरठ।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ।
4. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को निविदा सूचना परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, मेरठ-01/03/04, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ/सहारनपुर।
6. संगणक, निर्माण खण्ड, मेरठ-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ।
7. सहायक अभियन्ता श्री मनोज कुमार सक्सैना/अवर अभियन्ता, श्री इन्द्रजीत सिंह, निर्माण खण्ड, मेरठ-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ।
8. कनिष्ठ लेखाधिकारी/कैशियर, निर्माण खण्ड, मेरठ-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ।
9. नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता